न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 96/2016

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. दुर्गाराम पुत्र खुमाराम 2. नरपतराज पुत्र सोहनलाल 3. अर्जुन पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान	1.	नेमाराम पुत्र रामाराम, जाति–माली, निवासी पी.डब्ल्यू.डी. रोड, सोजत तहसील–सोजत।
	2.	अमरचंद पुत्र खीवाराम जाति माली निवासी मालियो का बडा बास, सोजत
		3. कमलेश पुत्र श्री कानाराम जी सांखला जाति माली निवासी बेरा निम्बडिया, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी, तहसील सोजत
		4. तहसीलदार, सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

01. श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
0 2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 09/02/2021

वकील प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के रिवाईज्ड सेटलमेंट के नये खसरा नंबर 1933 रकबा 0.0667 हैक्टर, खसरा नंबर 1933/1 रकबा 0.0667 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जो खसरा नंबर 1933 प्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक खातेदारी एवं मालिकाना की है एवं खसरा नंबर 1933/1 प्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण उपरोक्त हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से निरन्तर बिना किसी बाधा के खुलम खुल्ला उपयोग उपभोग आज दिन तक करते आ रहे है। इन्हीं खसरो के चिपते खसरा नंबर 1932 रकबा 0.1200 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे संक्षिप्त में वादस्थ आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जो एनेक्सर–ए है, जिसमें मार्क ए.बी.सी.डी. प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादस्थ आराजीयात खसरा नंबर 1933 व 1933/1 उल्लेखित है। तथा मार्क ए.बी.ई.एफ. अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी की भूमि में तारबंदी तोडकर अवैध नीवे खोदकर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नंगर 1932 की भूमि में बिना किसी वैद्य अधिकार के सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन करवाये बिना कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु एक माह पूर्व निर्माण सामग्री लाकर डाल दी, अप्रार्थी के उक्त आराजीयात के चिपते प्रार्थीगण की हक हकूक एवं खातदारी कब्जा काश्त की भूमि आई हुई स्थित हैं जिस खातेदारीसुदा भूमि में प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियम से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से में करीब 8/10 फुट भूमि खसरा नंबर 1933

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner

व 1933/1 की सीमा के अंदर आते हुए निर्माण करने पर आमदा हुए, तथा प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना प्रार्थी की सहमति एव स्वीकृति के विधि विरूद्ध रूप से ताबडतोड रूप से दिनांक 22/04/2016 को प्रार्थी के हक हकूक खातेदारी की भूमि में करीब 8–10 फुट भूमि अंदर की तरफ आकर नीवे खोद दी तथा नीवे भरकर करीब 4–5 फुट उपर निर्माण कार्य भी कर दिया। दिनांक 25/04/2016 को सुबह प्रार्थी संख्या 2 द्वारा मौके पर जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये उक्त विधि विरूद्ध कृत्य की प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी हुई, जिस पर तमाम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को इस बाबत औलम्बा दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 जो कि अप्रार्थी सख्या 1 का जवाई है, तथा अप्रार्थी संख्या 3 जो अप्रार्थी संख्या 2 का व्यावसायिक पार्टनर है, दोनो मौके पर आये तथा तमाम अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये, तथा तमाम अप्रार्थीगण नेन एलानियां धमकियां दी कि प्रार्थीगण के हक हकूक खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करके रहेंगे, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अजनबी व्यक्ति है, जिनका वादस्थ आराजीयात से कोई लेना देना नही है, जो लाठी लकडी के बल पर राजनैतिक दबाव प्रभाव से प्रार्थीगण के हक हकूक खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने पर आमदा है, जिसका अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ आराजीयात में प्रार्थी के हक हिस्से पर बिना किसी संपरिवर्तन करवाये ताबडतोड कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण के हक हकूक खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत अवैध निर्माण कर रहे है, जिसका अप्रार्थीगण कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण अपने हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की संरक्षार्थ न्यायालय की शरण लेनी पड रही है, अप्रार्थीगण को अपने उक्त विधि विरूद्ध कारित करने से तत्काल प्रभाव से नही रोका जाता है तो प्रार्थीगण को होन वाली अपूर्णीय क्षति का मूल्यांकन कदापि रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने के अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 1933 व 1933/1 की भूमि में किये गये अवैद्य निर्माण कार्य को जरिये आज्ञात्मक आज्ञा हटवाने के अधिकारी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में है, क्योकि प्रार्थीगण वादस्थ आराजीयात खसरा नंबर 1933 व 1933/1 के रेकर्डेड खातेदार है, तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अवैद्य अतिक्रमण कर ताबडतोड निर्माण कार्य करने का आमदा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नही है। तथा सहुलियत का पलडा भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण द्वारा ताबडतोड तरीके से निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, व आर्थिक नुकसान होगा, जिसका मूल्यांकन किया जाना असंभव है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जब ाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 13.12.2017 को जबाब प्रा0 पत्र पेश किया की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सा0मि0 है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाब प्रा0 पत्र अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से पेश किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान प्रकरण का मूल प्रार्थना गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में नये खसरा नंबर 1933, 1933/1 की कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की हक हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त की अवश्य आई हुई स्थित है। जिस कृषि भूमि का प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आये है। प्रार्थी का यह लिखना भी सही है कि खसरा नंबर 1933, 1933/1 के चिपते हुए खसरा नंबर 1932 रकबा 0.1200 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक हकूक की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि कतई वादग्रस्त कृषि भूमि नहीं है।प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्सर ए

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

बिल्कूल गतल रूप से प्रस्तुत किया है। मार्क ए, बी, सी, डी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1933, 1933/1 की अवश्य स्थित है। लेकिन यह लिखना गलत है कि मार्क ए, बी, इ, एफ अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की हक हकूक की भूमि में तारबंदी तोड कर अवैध नीवे खोद कर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1932 में से 5 फुट जमीन खसरा नंबर 1933 व 1933/1 की सीमाओं से छोड कर अपनी फसल व जमीन की सुरक्षा हेतु चारदीवारी के निर्माण हेतु नीवे खोद कर चार दीवारी का निर्माण किया गया। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से में करीब 8–10 फुट जमीन खसरा नंबर 1933, 1933/1 की सीमाओं में आकर निर्माण करने पर आमादा हुए, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 1933, 1933/1 से खसरा संख्या 1932 में से 5 फुट जमीन छोड कर नीवे खोदकर चार दीवारी का निर्माण किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओ मे रहते हुए निर्माण कार्य किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है, न ही अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से दिनांक 22/4/2016 को किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त है तथा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवारी करवाने हेतु प्रार्थीगण की सहमति व स्वीकृति की कतई आवश्यकता नही है। खातेदार को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा एवं फसल सुरक्षा हेतु चार दीवारी बनाने के लिए कानून संपरिवर्तन करवाया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र के शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25/4/2016 को किसी प्रकार का कोई विधि विरूद्ध कृत्य नही किया। ओर न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि के अतिरिक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया ही नही तो अप्रार्थी संख्या 1 को ओलम्बा दिया जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने पर उतारू हुए तथा एलालिया धमकिया दी कि प्रार्थीगण की हक हकूक की खातेदारी की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करके रहेगे। जबकि स्वयं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 1933, 1933/1 को बिना संपरिवर्तन करवाये विधि विरूद्ध तरीके से संपूर्ण भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य किया हुआ है। जिस बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब, सोजत द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्रज्ञत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थीगण लाठी व लकडी के बल पर राजनैतिक दबाव प्रभाव से प्रार्थीगण के हक हकूक कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाओं में रहते हुए कृषि भूमि की सुरक्षा व फसल सुरक्षा हेतु चारदीवारी करवाने के लिए नीवे खोदी गई, जिस पर निर्माण कार्य करने का अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण रूप से वैध व कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से पर बिना संपरिवर्तन करवाये ताबडतोड रूप से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण के हक हकूक की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण कर रहे है। जबकि वास्ततिकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि का संपरिवर्तन करवाने का कतई हकाधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 1933, 1933/1 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाने का आवेदन नगरपालिका सोजत में प्रस्तुत किया हुआ है। जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण रूप

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

Scanned with CamScanner

से हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 की हक हकूक खातदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से रूकवाने का कतई अधिकारी नही है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार है व एवं रेकर्डेड खातेदार को जरिये स्थई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण कतई रूकवाने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1933, 1933/1 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ है, जो माननीय न्यायालय द्वारा हटाया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार से उज्र एतराज नही है। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो कतई चलने योग्य नही है, जो वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को कतई अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 1932 रकबा 0.1200 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार हैं जो राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का हक व अधिकार प्राप्त है। वादीगण को प्रतिवादी सख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टाया मामला उत्पन्न नहीं होता हैं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि से पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों पैसो में नहीं आंका जा सकेगा।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नंम्बर 1932 रकबा 0.12 है. किस्म मेहंदी नेमाराम पुत्र रामाराम कौम माली की भूमि पर पहुंचे। मौके पर श्री नेमाराम खातेदार उपस्थित मिले। व इनके दामाद अमरचन्द पुत्र खीवाराम हाजिर मिले। खसरा नं. 1932 के संबंध में नेमाराम जी से पूछताछ की तो बताया किय उक्त भूमि का आबादी में रूपान्तरण नही करवाया है। उक्त खसरे के चारो पक्की दीवार बनी हुई हैं जिस पर ताजा सीमेन्ट की डीपीसी की हुई है। मौके पर निर्माण सामग्री पत्थर, कंकरीट, सीमेन्ट पडे है। उक्त खसरे के पश्चिमी हिस्से में तीन कमरो के निर्माण हेतु नीवे भरकर डीपीसी की हुई है। खसरा नंम्बर 1932 की सीमा खसरा नंम्बर 1933, 1933/1, 1933/2 से लगती हुई है। खातेदार श्री नेमाराम को रूबरू मौतबिरान पाबन्द किया गया कि आप उक्त भूमि को संपरिवर्तन के पश्चात ही निर्माण कार्य करे। यदि आप बिना संपरिवर्तन निर्माण कार्य करेंगे तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने हस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा दस्तावेजात के आधार पर विवादग्रस्त उक्त आराजी की भमि से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से अप्रार्थी को वाद निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी ने सं0 1 ने प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी, जवाब प्रा0 पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 तथा दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत प्रा0 पत्र के संलग्न दस्तावेजात अनुसार विस्तृत निर्णय मूल वाद में तनकियात कायम होकर बाद साक्ष्य सबूतो के दस्तावेजात तथा साक्ष्यों के आधार पर बहस वकुलाय सुनी जाकर विवेचन/विश्लेषण पश्चात् हक अधिकारों का विनिश्चय किया जा सकेगा। तथापि वर्तमान परिपेक्ष्य मे उभय पक्षो को वाद निर्णय तक मौका की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि उभय पक्ष सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के रिवाईज्ड सेटलमेंट के नये खसरा नंबर 1933 रकबा 0.0667 हैक्टर,

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

खसरा नंबर 1933/1 रकबा 0.0667 तथा खसरा नम्बर 1932 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि की मौके की यथा स्थिति मूल वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशर शुमार होकर नम्बर से कम हों बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 09/02/21 को रारे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner